हिन्दुस्त

प्र्रदेश में निवेश बढ़ाने को कई रियायतों का प्र्रस्ताव

2

लखनऊ। योगी सरकार निवेशकों को राज्य में मेगा परियोजना लगाने पर बुंदेलखंड और पूर्वांचल में स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट देगी जबकि मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद को छोड़कर बाकी इलाके में 75%और गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में 50 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी। 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को बिना नीलामी जमीन मिलेगी।

› पैकेज चुन सकेंगे P10

ये मिलेगी छूट

1. कैपिटल सब्सिडी : बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में बड़े औद्योगिक पार्कों के लिए सरकार सहायता करेगी।
2. प्रोत्साहन : प्रदेश में 10 उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) को प्रोत्साहित करने की तैयारी है।
3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश : सुपर मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाओं, 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली परियोजनाओं को भूमि आवंटन होगा।